संख्या–60 / मु0रा0आ0 / पुर्नगठन / 11

प्रेषक,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड--देहरादून।

सेवा में,

आयुक्त,
गढवाल / कुमाँयू मण्डल,
पौडी / नैनीताल।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनाँक 06 जनवरी, 2011

बिषयः-- **राजस्व विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुर्नगठन।**

महोदय,

उपरोक्त बिषयक उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या–1303 / xviii (1) / 10–03(13) / 2010, दिनाँक 8.12.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि इस कार्यालय को सम्बोधित तथा अन्य के साथ–साथ आपको भी आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित है। उक्त शासनादेश से राजस्व विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने हेतु उल्लिखित शर्तो एंव व्यवस्थाओं के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्णित शासनादेश में दी गई शर्तो / व्यवस्थाओं के अधीन राजस्व विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान स्थापित पदों के सापेक्ष संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पदों का पुनर्गठन अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

06-01-11

(कुँवर राज कुमार)
अपर मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड–देहरादून।

<u>संख्या एंव दिनाँक तदैव।</u>

प्रतिलिपि– अपर सचिव,उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून को उक्त के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

06-01-11

(कुँवर राज कुमार)
अपर मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड–देहरादून।

R.N. 7445/10
13/12/10

संख्या: 1303 /XVIII–(1)/10–03(13)/2010

प्रेषक,

डॉ राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 08 दिसम्बर, 2010

विषय –राजस्व विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढ़ांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुर्नगठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6382/मु0रा0आ0/2010, दिनांक 23.09.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने विषयक कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–183/XXX(2)/2010, दिनांक 11.02.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1165/XXX(2)/2010, दिनांक 27.09.2010 में दी गयी व्यवस्था/शर्तों के अधीन राजस्व विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित पदों के सापेक्ष, श्री राज्यपाल निम्न तालिकानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पदों का पुर्नगठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(क) मण्डल कार्यालय

क्र0 सं0	मण्डल का नाम	पदों की कुल संख्या	कनिष्ठ सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 1900 पदों का 32%	प्रवर सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2400 पदों का 30%	मुख्य सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2800 पदों का 18%	प्रशासनिक अधि0 (9300–34800) ग्रेड पे – 4200 पदों का 20%	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (9300–34800) ग्रेड पे – 4600
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गढ़वाल मण्डल कार्यालय पौड़ी	09	03	03	02	01	–
2.	कुमाऊँ मण्डल, कार्यालय नैनीताल	13	04	04	02	02	01

(ख) जनपद कार्यालय

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पदों की कुल संख्या	कनिष्ठ सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 1900 पदों का 32%	प्रवर सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2400 पदों का 30%	मुख्य सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2800 पदों का 18%	प्रशासनिक अधि0 (9300–34800) ग्रेड पे – 4200 पदों का 20%	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (9300–34800) ग्रेड पे – 4600
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पौड़ी गढ़वाल	110	35	33	20	19	03
2.	उत्तरकाशी	57	18	17	10	12	–
3	टिहरी	92	29	28	17	18	–
4	हरिद्वार	76	24	23	14	14	01
5	देहरादून	104	33	31	19	18	03
6	रूद्रप्रयाग	36	12	11	06	07	–
7	चमोली	78	25	23	14	16	–
8	अल्मोड़ा	126	40	38	23	23	02
9	नैनीताल	111	36	33	20	20	02
10	पिथौरागढ़	84	27	25	15	15	02

11	चम्पावत	45	14	14	08	08	01
12	बागेश्वर	51	17	15	09	08	02
13	ऊधमसिंहनगर	96	31	29	17	16	03
	योग–	**1066**	**341**	**320**	**192**	**194**	**19**

(ग) भूमि अध्याप्ति इकाई

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	पदों की कुल संख्या	कनिष्ठ सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 1900 पदों का 32%	प्रवर सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2400 पदों का 30%	मुख्य सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2800 पदों का 18%	प्रशासनिक अधि0 (9300–34800) ग्रेड पे – 4200 पदों का 20%	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (9300–34800) ग्रेड पे – 4600
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भूमि अध्याप्ति इकाई, देहरादून / हरिद्वार / टिहरी / नैनीताल / अल्मोड़ा	37	12	11	07	07	–

(घ) सर्वेक्षण इकाई

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	पदों की कुल संख्या	कनिष्ठ सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 1900 पदों का 32%	प्रवर सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2400 पदों का 30%	मुख्य सहायक (5200–20200) ग्रेड पे – 2800 पदों का 18%	प्रशासनिक अधि0 (9300–34800) ग्रेड पे – 4200 पदों का 20%	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (9300–34800) ग्रेड पे – 4600
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सर्वेक्षण इकाई देहरादून / ऊधमसिंहनगर	12	04	04	02	02	–

3– कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–183 / XXX(2) / 2010, दिनांक 11.02.2010 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्ट्रीयल कार्मिक हों, वहां पर 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखा जाना है, उक्त के आधार पर राजस्व विभाग के अन्तर्गत 10 या 10 से अधिक मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की तैनाती वाले कार्यालयों हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600 के कुल 20 (बीस) पद बनते है। उक्त 20 पद प्रत्येक जनपद में पूर्व से स्वीकृत एक–एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों के अतिरिक्त है। स्वीकृत 20 पदों में से 01 पद आयुक्त कुमाऊँ मण्डल कार्यालय एवं 19 पद 10 या इससे अधिक मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की तैनाती वाली तहसीलों के लिये है, जिनका विवरण **संलग्नक** पर दृष्टव्य है।

4– उक्त पुर्नगठित / स्वीकृत पदों पर नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए अनुमन्य किये जाने वाले अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5– मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों को पुनर्गठन के उपरान्त स्वीकृत पदों में समायोजित करने के बाद यदि निर्धारित विभाजन के सापेक्ष पद रिक्त रह जाता है तो उन्हें पदोन्नति की निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये भरा जाये, इसके अतिरिक्त उपरोक्त समायोजन के फलस्वरूप यदि किसी ग्रेड में पद धारकों की संख्या निर्धारित विभाजन से आगणित पदों की संख्या से अधिक हो जाती है तो अधिक पद धारकों द्वारा किसी कारणवश पद रिक्त किये जाने की दशा में वह पद आनुपातिक विभाजन के अनुसार ही सम्बन्धित ग्रेड में समायोजित हो जायेंगे।

6– उच्च वेतनमान के पदों के विरूद्ध कर्मचारियों के समायोजन अथवा प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा।

7– उक्त पुनर्गठित स्टाफिंग पैटर्न में कोई अतिरिक्त नये पद सृजित नही किये जा रहे हैं, वरन् विभाग में पूर्व से ही सृजित पदो का स्टाफिंग पैटर्न के शासनादेश के अनुसार पुनर्गठन किया जा रहा है।

8— कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—183/XXX(2)/2010, दिनांक 11.02.2010 में उल्लिखित व्यवस्था संगत सेवानियमावली में कर ली जायेगी।

9— राजस्व विभाग के अर्न्तगत संरचनात्मक पुनर्गठन एवं कार्मिक ढांचे के निर्धारण सम्बन्धी समस्त पूर्व आदेश उपरोक्त सीमा तक अतिक्रमित/संशोधित समझे जायेंगे।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—4733/XXVII(7)/2010 दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव

<u>संख्या— / (1)/XVIII(1)/2010 तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2 आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5 वित्त (वे0आ—सा0नि0) अनुभाग—7
6 वित्त अनुभाग—5
7 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव